

## संशोधित मुख्य मंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से संबंधित अति महत्त्वपूर्ण सूचना

- 1- ऐसे समस्त प्रवेशित अभ्यर्थी जो कि संशोधित मुख्य मंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (आदेश दिनांक 29.07.2017 )के अन्तर्गत पात्र एवं इच्छुक है तथा इस योजना का लाभ प्रथम चरण की काउंसिलिंग में नहीं ले पाये है ऐसे अभ्यर्थियों को भी उनके आवंटित एवं प्रवेशित संस्था में दिनांक 04 एवं 05 अगस्त 2017 को स्कूटनी प्रारूप में आवश्यक संशोधन हेतु उपस्थित होना है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में जमा कराये गये शुल्क को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये खाते में रिफण्ड कर दी जायेगी। संशोधित विवरण एमपी ऑनलाईन के पोर्टल एवं संचालनालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- 2- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटन हुआ है परन्तु उपरोक्त संशोधित योजना (आदेश दिनांक 29.07.2017 )न होने के कारण प्रवेश नहीं ले पायें हैं, ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो संशोधित योजना के अन्तर्गत पात्र एवं इच्छुक है प्रवेश हेतु उनकी आवंटित संस्था में दिनांक 04 एवं 05 अगस्त 2017 को पुनः स्कूटनी एवं प्रवेश हेतु उपस्थित हों।